

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Validity Period :14/02/2018 To 31/12/2022

Ref No. - 5010/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTE/NOIDA/2017 Dated: - 08/03/2018

To,

M/S Pratap Singh Rathi
M/s Star Landcraft Pvt Ltd
Proposed Group Housing Project at Plot No. SC-01/09, Sector-152, Noida, U.P
NOIDA

Sub: Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your application form no 228170 dated - 12/12/2017 .After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish is granted subject to the compliance of following conditions :

- 1. Consent to Establish is being issued for following specific details :
 - A- Site along with geo-coordinates:
 - B- Main Raw Material:

Main Raw Material Details				
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity		
Not applicable as it is a Group Housing Project.	Numbers/Day	492		

C- Product with capacity:

Product Detail				
Name of Product	Product Quantity			
Not applicable as it is a Group Housing Project.	492			

D- By-Product if any with capacity:

By Product Detail					
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity		
Not applicable as it is a Group Housing Project.	Numbers/Day	492	492		

E: Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details				
Source Type 492 Quantity (KI				
Municipal Supply	Noida Authority	271.0		

F. Quantity of effluent (ln KLD):

Effluent Details				
Source Consumption	Quantity (KL/D)			
Domestic	271.0			

G- Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day):

Fuel Consumption Details				
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use		

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

- 2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
- 3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 31/12/2022 to the Board.
- 4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
- 5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
- 6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.
- 7. Bank details.

		Bank Fee Details		
		Draft No./Money Receipt No	Date	Rupees
HDFC BANK	Ghaziabad	004411	12/12/2017	50000.0

Specific Conditions:

- 1. Project shall provide the NOC of CGWA for extracting ground water within 03 month.
- 2. Project shall comply the provisions of EP Act, 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
- 3. Project shall comply the conditions of EC.
- 4. Project shall dispose the hazardous waste through authorized recyclers/TSDF.
- 5. Project shall install Sewage Treated Plant of capacity 225.0 KLD & treated water shall be used in gardening/flash etc.
- 6. Project shall comply the provisions of notification dt. 07-10-2016 of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Conservation GOI.
- 7. Project shall comply the order passed by Hon'ble NGT time to time.
- 8. This consent to establish is valid for the Plot Area-27496.49 sq.mt. & Built-up Area-104094.92 sq.mt.
- 9. Project shall install Exhausts on DG sets at least 0.2KVA mt from roof level along with acoustic enclosures.
- 10. Project shall use clean fuel as far as possible.
- 11. Project shall develop proper green belt and rain water harvesting system as per Authority guidelines.
- 12. Project shall not start gaseous emission & sewage generation without prior consent of the board.
- 13. All construction activities shall be according to authority guidelines.
- 14. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
- 15. Project shall comply the conditions of EC.
- 16. Project shall comply the provisions of MSW Rules 2016 & installed display board of size-4'X6' on construction site.
- 17. Project shall not use ground water in construction activities. Only STP treated water shall be used.
- 18. Project shall be constructed as per approved map.
- 19. Unit will put tarpaulin scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
- 20. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
- 21. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
- 22. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
- 23. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- 24. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
- 25. All medical held, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
- 26. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
- 27. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
- 28. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
- 29. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
- 30. Green belt will be developed around the buildings as per rules.
- 31. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
- 32. The project proponent shall comply all the provisions of Environment (Protection) Amendment, Rules 2018 notified by MoEF&CC by Notification no 49 Dt. 25-01-2018.
- 32. Project shall submit a bank guarantee of Rs. 10 lacs within 15 days for complying above condition no 1 to 32.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 31/12/2022 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Member Secretary

Dated: - 08/03/2018

Copy To -

Regional Officer, UPPCB, Noida.

Member Secretary

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ। दिनांकः 104-11- 2016,

पत्रांकःआर- 🕇 🗸 जे०डी० / फा०स० / लखनऊ-16(गौतम०) / 🗗 🗸 🗘 सेवा मे

> मुख्य वास्तुविद नियोजक, नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-6

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स स्टारलैण्डं काफ्ट प्रा०लि० द्वारा प्लाट न०-एस०सी०-01/09 सेक्टर-152, नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए०-01 एवं ए०-02, बी०-01 एवं बी०-2 व बी०-03 कामर्शियल एवं कम्यूनिटी) कुल-05 टावरों के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्ग किये जाने के

सन्दर्भः

यूआईडी:2016/25617/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5925/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा द्वारा कियाँ गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 29–10–2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धगर ने उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र के माध्यम से कर संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई समस्त आख्याओ एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहरताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:-कूल प्लाट एरिया-28,238.82 वर्ग मी० है।

1—प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया—6116.932 वर्ग मी० है, जिसमे प्रस्तावित टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है:—

क0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मीo।		ऊचॉई मी0।
1	टावर ए०—01 एवं ए०—02	02बेस0,स्टिल्ट / भूतल एवं 26 तल	02	653.359 प्रत्येक	653.359 प्रत्येक	०२ अदद ०१.५०/०१.२५ प्रत्येक	84.40
2	टावर बी0—01 एवं बी0—02	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 16 तल	02	597.503 प्रत्येक	597.503 प्रत्येक	०२ अदद ०१.५०/०१.२५ प्रत्येक	55.60
3	टावर बी0-03	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 16 तल	01	597.503	597.503	02 अदद्र 01.50 / 01.25 प्रत्येक	55.60
4	कामर्शियल कम्युनिटी	भूतल एवं ०२ तल	-	1134.90	-	०२ अदद ०१.५० प्रत्येक	11.70
भमेन्ट ।		्राचारित भूतल	-	1094.281	464.492	evines heigh mess high	07.30

बेसमेन्ट एरिया:– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–17904.539 वर्ग मी0 व द्वितीय बेसमेन्ट कवर्ड एरिया—18709.211 वर्ग मी० प्रस्तावित है। बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं के हेतु 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी। मवन का अधिमोग विवरण:— प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन०बी०सी-2005 आवसीय श्रेणी ए०-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में 02 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मी0 प्रत्येक मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-


ए०-अग्रभाग-15.00 मी०।

बी0-पृष्ट भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी० प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई /अस्थायी निर्माण कार्ये अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है। 3—निकास मार्गः— प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में उपरोक्त तालिका के अनुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट में 04 रैम्प प्रविधानित है तथा प्रस्तावित निकास मार्गो की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, इण्टरनल स्टेयकेस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के



बिन्दु संख्या—4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग—4 के बिन्दु संख्या—4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी०सी० के भाग—4 के बिन्दु संख्या—4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन०बी०सी० २००५ के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2—भूमिगत:—प्रश्नगत परिसर में अग्निशमन कार्यों हेतु २,००.००० दो लाख लीटर क्षमता के ०२ अदद भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है। 3—पम्पस:— प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास २८५० एल०पी०एम० क्षमता के ०२ अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा ०२ अदद जौकी

पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

4—टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली० स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5—वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर एन०बी०सी० एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6—**यार्ड हाईड्रेण्टस**:— प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

7—आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:—प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट सिहत सम्पूर्ण भवनों के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8—आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः— प्रश्नगत भवन मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है। 9—मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः— सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सिटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सिटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11-स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में मैकेनिकल स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी / स्केप लाईटिंग एन०बी०सी०-2005 पार्ट-४ में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16—भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन०बी०सी० पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17—भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फ़ायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स स्टारलैण्ड काफट प्रा०लि० द्वारा प्लाट न०-एस०सी०-01/09 सेक्टर-152, नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए०-01 एवं ए०-02, बी०-01 एवं बी०-2 व बी०-03 कामर्शियल एवं कम्यूनिटी) कुल-05 टावरों के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापित प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अन्तित प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार) संसुक्त निदंशकः जियस सर्विस संयुक्त निदंशकः लक्षिमकः

प्रतिलिपिः 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स स्टारलैण्ड काफ्ट प्रा०लि० द्वारा प्लाट न०-एस०सी०-०1/०९ सेक्टर-152, नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।